

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 06.11.2020

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-45 व्यक्तियों को अर्न्तगत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:

01 थाना वजीरगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. धर्मेन्द्र चौहान पुत्र लल्लू राम चौहान नि० जटमलपुर थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-342/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना मोतीगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. सुन्दरपता पत्नी अन्नू नि० छाछपारा थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 05 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-277/20, 02. फूलकुमारी पत्नी नान्हू नि० छाछपारा कानूनगो थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 05 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-278/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना खरगूपुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. मनोज कुमार पुत्र बच्चा राम नि० अजब पैडी थाना को० देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-233/20, 02. मुन्ना पुत्र शिवराज नि० अजब पैडी थाना को० देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-234/20, 03. सुरेन्द्र कुमार वर्मा पुत्र राम वनारस वर्मा नि० रमनगरा थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-235/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

04. थाना इटियाथोक द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. रूसे सोनकर पुत्र बलराज सोनकर नि० रायपुर ब्रह्मचारी पण्डित पुरवा थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-392/20, 02. स्वामी नाथ सोनकर पुत्र बांके सोनकर नि० दलपतपुर खटिकन पुरवा थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-393/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।